पत्रांक– बि0क0च0आ0/प्र0–03/परीक्षा(MVI)–06/2018......

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना

पो0–भेटनरी कॉलेज, पटना–14

आवश्यक सूचना

ज्ञापांकः–...2243/आ0...

पटना, दिनांकः–...9-9-2021...

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वि0सं0–2607, पद– मोटरयान निरीक्षक (M.V.I.) से संबंधित SLP(C) No-28599/2016 एवं SLP(C) No-9503/2013 में दिनांक–10.01.2018 को पारित आदेश, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आयोग के विज्ञ अधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा के उपरान्त शेष 137 अभ्यर्थियों के मूल आवेदनों एवं संलग्न कागजातों की जाँच प्रकाशित विज्ञापन में निहित शर्तों, बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग नियमावली में निहित प्रावधानों एवं विभिन्न वादों में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्देश के आलोक में आयोग के द्वारा गठित काउन्सिलिंग दल के द्वारा की गई है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में 132 अभ्यर्थियों को अयोग्य पाया गया तथा 05 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व निर्धारण हेतु उनके मूल आवेदन के साथ संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/कागजातों का मिलान एवं जाँच मूल प्रमाण पत्रों/कागजातों के साथ करने के लिए आयोग कार्यालय में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के आलोक में संबंधित पाँच अभ्यर्थियों क्रमशः 1. श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, 2. श्री मोतीलाल सनातन, 3. श्री रंजय कुमार 4. श्री अजय कुमार सिंह तथा 5. श्री संजीव कुमार को उनके द्वारा समर्पित मूल आवेदन के साथ संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों के मिलान एवं जाँच हेतु आयोग कार्यालय में आमंत्रित किया गया। उपस्थित 05 अभ्यर्थियों के मूल आवेदन के साथ संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों का मिलान एवं जाँच किया गया। जाँचोपरांत विज्ञापन की शर्त्तों के आलोक में किसी भी अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व स्वीकृति योग्य नहीं पाया गया है।

9/9/21

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।